संख्या : 730 / 49–3–2013–100(9) / 2012.

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबंधक
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 10 मई, 2013.

विषय :वर्ष 2013–14 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अंतर्गत हुये व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–938 / बीज–उर्वरक / ल0नि0वर्ष 2013–14, दिनांक 20 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2013–14 में उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत, भण्डार शुल्क, ब्याज एवं परिवहन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बंध में निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

(1) **ब्याज के सम्बन्ध में**

यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग योजना के अंतर्गत पी0सी0एफ0 एवं समितियों को उनके द्वारा निवेश की गयी धनराशि पर देय ब्याज, जो 11.25 प्रतिशत से अनधिक होगा, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

28/क्र०ए० 15/5/2013

(2) **भण्डारण शुल्क के सम्बन्ध में**

पीसीएफ एवं समितियों को भंडारित यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों पर "भंडारण निगम से न्यूनतम संभव दरों अथवा इफको द्वारा पीसीएफ को प्रदान किये जा रहे भण्डारण शुल्क में से जो कम हो की दर पर" देय भंडारण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(3) **पी0सी0एफ0 बफर गोदाम से समितियों तक पूर्वभंडारित फास्फेटिक व यूरिया उर्वरक एवं पूर्व भण्डारण योजना के अतिरिक्त सामान्य यूरिया तथा फास्फेटिक उर्वरक के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान**

वर्ष 2013–14 में लक्ष्य के अनुरूप 11.00 लाख मै0टन पूर्व भण्डारित उर्वरक तथा 34.40 लाख मै0टन सामान्य उर्वरक कुल 45.40 लाख मै0टन उर्वरक

.......2 /

का परिवहन कराया जाना है। अतएव पी0सी0एफ0 बफर गोदाम से समितियों तक पूर्वभंडारित फास्फेटिक व यूरिया उर्वरक एवं पूर्व भण्डारण योजना के अतिरिक्त सामान्य यूरिया तथा फास्फेटिक उर्वरक के वास्तविक परिवहन व्यय में प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदत्त धनराशि को घटाकर अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति पीसीएफ एवं अन्य परिवहन संस्थाओं को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नही हो।

(4) **पूर्व भंडारित उर्वरकों के विक्रय के समय मूल्यों में कमी हो जाने पर समितियों को संभावित क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।**

प्रदायकर्ताओं से क्रय की गयी पूर्वभंडारित उर्वरक के सम्बन्ध में भविष्य में इस स्थित की संभावना हो सकती है कि पूर्वभंडारित उर्वरकों के बिक्री मूल्यों में कमी हो जाए। चूँकि तब किसानों को घटे मूल्य पर ही उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कराना होगा जिसके परिणामस्वरुप संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं को हानि उठानी पड़ेगी इसलिए संस्था/सहकारी समितियों को होने वाली इस संभावित हानि की प्रतिपूर्ति सरकार से कराया जाना अभीष्ट होगा। इसकी प्रथमतः प्रतिपूर्ति प्रस्तावित बजट की बचत की धनराशि से या बचत की अनुपलब्धता की दशा में अतिरिक्त मॉग के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाएगी।

(5) योजना का क्रियान्वयन गत वर्ष की स्वीकृति कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा तथा इस हेतु वर्ष 2013–14 के आय व्ययक में इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि में ही व्यय सीमित किया जायेगा। यदि किन्ही अपरिहार्य तथा औचित्य पूर्ण कारणों से अतिरिक्त देयतायें सृजित होती हैं तो वित्त विभाग के परामर्श यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(6) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं उ0प्र0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ इन व्ययों के मद तथा व्ययों को बेहतर वित्तीय /प्रशासकीय प्रबन्धन से सीमित करने का प्रयास करेगें तथा बाजार व्यवस्था के कारको का गम्भीरता से अध्ययन कर प्रीपोजीशनिंग का निर्णय लेगें ताकि अनावश्यक व्यय न हो। साथ ही बैंकों से ऋण भी इस तरह नेगोसियेट करेगें कि यह ब्याज दर सीमित रहे।

(7) पूर्ण भण्डारण योजना में व्यय धनराशि का पीसीएफ द्वारा राज्य आडिट ईकाई से आडिट कराकर रिपोर्ट आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर ब्याज मद, भण्डारण मद, एवं परिवहन मद में ब्यय होने वाली धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रदान की जायेगी।

....3/

(9) उक्त व्यय आय–व्ययक 2013–14 में उर्वरकों की अग्रिम भंडारण योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 730(1) /49–3–2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–4/2/8/2013–सी0एक्स0(1), दिनांक 08 मई, 2013 के संदर्भ में ।
2– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियाँ, उ.प्र. लखनऊ।
5– अपर निबंधक (कृषि–निवेश) सहकारी समितियाँ उ0प्र0 लखनऊ।
6– वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियाँ उ0प्र0 लखनऊ।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
इन्द्रदेव पटेल
(इन्द्रदेव पटेल)
उप सचिव।